न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 23/2017

1 कान्ता देवी पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्र मालीराम जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद मकान नम्बर 21–6–68 ए नजदीक गायत्री भवन महबूब की मेहन्दी हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) वर्तमान पता पुरानी सराय वार्ड नम्बर 22 नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 सत्यदेव पुत्र केदारनाथ जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मालीराम।

3 गोवर्धन पुत्र मालीराम।

4 बजरंग पुत्र मालीराम।

5 दीपक पुत्र मालीराम समस्त जाति महाजन निवासीगण पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद मकान नम्बर 21–6–68 ए नजदीक गायत्री भवन महबूब की मेहन्दी हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश।

6 रूपा पुत्री महेन्द्र कुमार नवीरा मालीराम जाति महाजन निवासी पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल आबाद मकान नम्बर 21–6–68 ए नजदीक गायत्री भवन महबूब की मेहन्दी हैदराबाद आन्ध्रप्रदेश वर्तमान पता पुरानी सराय वार्ड नम्बर 22 नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

7 जीवनसुधा पत्नी सत्यदेव।

8 विश्वनाथ पुत्र केदारनाथ।

9 नवीनचन्द पुत्र केदारनाथ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 विजय कुमार पुत्र केदारनाथ समस्त जाति महाजन निवासीगण पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
11 उप पंजियक बुहाना जिला झुंझुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016
द्वारा उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी मुकदमा
सत्यदेव बनाम राजेन्द्र प्रसाद वगैरह दावा घोषणात्मक
रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
139/2013

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 24.08.21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा संख्या 139/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 5 के रूप में पक्षकार थी तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी था। वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष गलत आधारो पर दावा प्रस्तुत कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ इकतरफा रूप से कार्यवाही करवाकर दावा अपने हक में इस प्रकार से निर्णित व डिक्री कराया कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 1389,1390, 1391,1392,1393 कुल किता 5 कुल रकबा 2.88 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 के पूर्वज मालीराम के 1/3 हिस्से की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी पैदा न करें। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि राजस्व न्यायालय में एग्रीमेन्ट की पालना हेतु वाद लाने का प्रावधान नही है विचारण न्यायालय में किसी भी पक्षकार की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.05.2016 में अपीलांट को व्यक्तिशः उपस्थित होना बताया है। जबकि अपीलांट उपस्थित नही थी। अपीलांट के कोई हस्ताक्षर नही है। विचाराधीन आदेश कैम्प कोर्ट लोक अदालत में पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल राजीनामे के प्रकरण ही निर्णित होते है। अपीलांट हरियाणा रहती है। दिनांक 28.02.2017 को गांव आने पर अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी हुई जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश कर दी है। धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावें। विचारण न्यायालय में खातेदार को बिना सुने, बिना सम्यक तामील, बिना एक्स पार्टी घोषित किये विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 365 प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व धारा 5 पर प्रकरण को निर्णित किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.05.2016 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 5/अपीलांट की उपस्थिति अंकित है। अपीलांट की और से वकील के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा दिनांक 03.05.2016 की आदेशिका के सन्दर्भ में अपील मेमो में कोई कथन नही किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उनकी और से उपस्थित वकील के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही का अंकन नही किया गया है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचाराधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 को उसी कैम्प कोर्ट में एक अन्य प्रकरण संख्या 15/2015 में इनकी उपस्थिति रही है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार योग्य नही है कि अपीलांट को विचाराधीन आदेश की जानकारी नही है। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथो से अपील लेकर आना प्रकट नही होता है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की अपील मियाद बाहर है गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व धारा 5 पर प्रकरण को निर्णित किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.05.2016 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 5/अपीलांट की उपस्थिति अंकित है। अपीलांट की और से वकील के हस्ताक्षर है। अपीलांट द्वारा दिनांक 03.05.2016 की आदेशिका के सन्दर्भ में अपील मेमो में कोई कथन नही किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में उनकी और से उपस्थित वकील के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही का अंकन नही किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचाराधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 को उसी कैम्प कोर्ट में एक अन्य प्रकरण संख्या 15/2015 में इनकी उपस्थिति रही है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकार योग्य नही है कि अपीलांट को विचाराधीन आदेश की जानकारी नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियाद बाहर प्रकट होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नही पाये जाने से अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर